Aditya Appliances Private Limited (Second Petitioner Company) was presented by petitioners on the 17th day of June 2013 and that said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 29th April, 2014.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's Advocate notice of such intention, signed by him or his Advocate, with him name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later then 2 days before the date fixed for hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Indore, Dated 5TH April, 2014.

Vijay Assudani,
Advocate for the Petitioners,
M/48-49, Trade Centre,
18, South Tukoganj, Indore-452001 (M. P.).

(19-B.)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 02 अप्रैल, 2014

क्रमांक-665.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-20 (1), 21 (1) तथा 23 (क, ख, ग) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-24 (1), 25 तथा 26 (1, 2, 3) के अनुपालन में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नीचे दर्शित बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्पूर्ण राज्य में (क) जानकारी प्राप्त करने, (ख) नमूने एकत्रित करने तथा (ग) किसी स्थान में प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करता है—

1. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
4. अधीक्षण यंत्री
5. क्षेत्रीय अधिकारी
6. कार्यपालन यंत्री/मुख्य रसायनज्ञ
7. सहायक यंत्री/वैज्ञानिक
8. उप क्षेत्रीय अधिकारी
9. कनिष्ठ वैज्ञानिक
10. उपयंत्री/रसायनज्ञ
11. प्रयो. सहायक/सेम्पलर
(विज्ञान विषय में स्नातक)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा
आदेशानुसार,
ए. ए. मिश्र,
सदस्य सचिव.

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर
अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 2362 /विधि शाखा/प्रनिबो/94 भोपाल, दिनांक 22-2-94

विषय:- जन भावनाओं या प्रचार माध्यमों की सूचनाओं के आधार पर "प्रदूषित तत्वों की जांच"।

जब कभी जन भावनाओं या प्रचार माध्यमों की सूचनाओं के आधार पर जल/वायु प्रदूषण की बात ध्यान में आये, तब प्रदूषण के स्वरूप की जांच के लिये "लीगल सेम्पलिंग" अनिवार्य है। जल तथा वायु की लीगल सेम्पलिंग के संबंध में निम्न प्रावधान अवलोकित हों :-

जल :- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 21.

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (म.प्र.) नियम 1975 के नियम 34.

वायु :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 26.

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (म.प्र.) नियम 1983 के नियम 16.

जल प्रदूषण :- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा
21 में विभिन्न स्थानों से जल नमूने लेने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति के तहत
प्रदूषित जल के नमूने लेने के लिये उस धारा की उप धारा (3)(4) और (5) का
अनुसरण आवश्यक है। संक्षेप में उप धारा (3) के अनुसार जब जल का नमूना लेना
हो, तो स्थल के "अधिष्ठाता" को नमूना लेने के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
(म.प्र.) नियम 1975 के नियम 34 के अनुसार निर्धारित फार्म में नमूना लेने के आशय
की नोटिस दी जावेगी। जिसकी प्रतिलिपि (परिशिष्ट 1) में संलग्न है। उस
अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में नमूनों को दो भागों में विभाजित
कर हर भाग को एक कन्टेनर में रखा जावेगा। जिसे चिन्हित और सीलबंद कर दिया
जावेगा और उस पर नमूना लेने वाले व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता
दोनों के हस्ताक्षर होंगे। इन दो कन्टेनरों में एक कन्टेनर तुरन्त बोर्ड द्वारा मान्यता
प्राप्त प्रयोगशाला जो बोर्ड की अपनी प्रयोगशाला ही है, भेजा जायेगा तथा दूसरा
कन्टेनर (क) नोटिस की तामीली के बाद अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता नमूने लेते
समय अनुपस्थित रहने अथवा अनुरोध करने पर राज्य प्रयोगशाला को भेजे जावेंगे।
यह राज्य प्रयोगशाला जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा
[illegible] है। [illegible]

भेजने होंगे, उद्योग को नहीं देने होंगे । इन दोनों परिस्थितियों में राज्य प्रयोगशाला द्वारा जांच किये जाने का व्यय अधिष्ठाता द्वारा वहन किया जावेगा ।

यदि अधिष्ठाता नमूने लेते समय अनुपस्थित हो या सील करते समय हस्ताक्षर करने से इनकार करे तो केवल नमूना लेने वाले के हस्ताक्षर ही पर्याप्त होंगे । ऐसी स्थिति में नमूना राज्य प्रयोगशाला को भेजा जाना होगा एवं प्रयोगशाला को इस तथ्य से लिखित रूप से अवगत कराना होगा कि अधिष्ठाता या उसके अभिकर्त्ता जान-बूझकर अनुपस्थित रहे । स्टेट लेबोरेट्रीज को विश्लेषण का प्रतिवेदन जल अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम में नियम 31 के अनुसार देना होता है । इस फार्म की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट II)

वायु प्रदूषण :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 26 में वायु अथवा उत्सर्जन के नमूने लेने की शक्ति दी गई है । वायु अथवा उत्सर्जन के नमूने लेने के लिये इस धारा की उप धारा (3) और (4) के अनुसार कार्यवाही की जाना अनिवार्य है । उप धारा (3) के अनुसार "अधिष्ठाता" को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1983 के नियम 17 के तहत निर्धारित फार्म में नोटिस दी जाती है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । (परिशिष्ट II) उस अधिष्ठाता या उसके अभिकर्त्ता की उपस्थिति में प्रश्नाधीन नमूने लिये जावेंगे । ये नमूने एक या कनटेनर/ कनटेनर्स में रखे जावेंगे । जिन्हें चिन्हित तथा सीलबंद किया जावेगा । उस कनटेनर/कनटेनर्स को यदि अभिकर्त्ता ने नोटिस तामील के बाद अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजने का अनुरोध किया हो, तो उसे उस प्रयोगशाला में भेजा जायेगा, अन्यथा बोर्ड की प्रयोगशाला को भेजा जावेगा । यदि नोटिस तामील होने के बाद अभिकर्त्ता या उसके अभिकर्त्ता नमूना लेते समय उपस्थित नहीं होते अथवा उपस्थित रहने पर भी लिये गये नमूने के कनटेनर में हस्ताक्षर करने से इंकार करते हैं, तो केवल नमूने लेने वाले के हस्ताक्षर होंगे तथा यह तथ्य नमूना भेजे जाने वाले प्रयोगशाला को लिखित में सूचित होंगे । जिस भी प्रयोगशाला को ये नमूने भेजे जावेंगे, वे निर्धारित फार्म में विश्लेषण रिपोर्ट देंगे । उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम 19 में यह फार्म निर्धारित है, जिसकी प्रति संलग्न है । (परिशिष्ट III)

इन विश्लेषण रिपोर्ट की दो प्रति तथा [illegible] निरीक्षण प्रतिवेदन स्पष्ट तथ्य के साथ संबंधित अधीक्षण यंत्री के नाम से मुख्यालय भेजा जायेगा, ताकि उस पर शीघ्र कार्यवाही की जा सकें ।

इसी तरह निरीक्षण/नमूने एकत्रित करने [illegible] अधिकारी/कर्मचारी को भेजा जावेगा, उनके कार्य क्षेत्र परिशिष्ट I ( ) में संलग्न है ।

[illegible signature]

सचिव

पृ०क्रमांक 2363/विधि शाखा/प्रनिबो/94 — भोपाल, दिनांक 22-2-94

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ
2. मुख्य पर्यावरण वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. अधीक्षण यंत्री पूर्वी परिक्षेत्र/पश्चिमी परिक्षेत्र, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आंचलिक अधिकारी, आंचलिक कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रथम/द्वितीय/तृतीय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

सदस्य सचिव
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट 1 (21)

प्ररूप बारह

राज्य जल प्रदूषण तथा नियंत्रण मण्डल

नमूने का विश्लेषण कराने के आशय की सूचना

(नियम ३४ देखिए)

प्रति,

....

....

....

सूचित हो कि जल/मल-निस्राव/उद्योग-निस्राव के नमूने का, जोकि आज तारीख..........
१६ को (१) ....
से लिया जा रहा है, विश्लेषण कराना आशयित है.

....

नमूना लेने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम.

(१) यहां उस सरिता, कुंए, संयंत्र, जलयान या स्थान का नाम विनिर्दिष्ट कीजिए जहां से नमूना लिया गया है.

प्रति,

....

....

....

परिशिष्ट II

प्ररूप दस

राज्य मण्डलों के विश्लेपक रिपोर्ट

(नियम 31 देखिए)

रिपोर्ट क्रमांक ....

दिनांक १६

मैं एतद्द्वारा प्रभाणित करता हूं कि मैं,

(एक) राज्य मण्डल के विश्लेपक ने, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974), की धारा 53 की उपधारा (3) के अधीन सम्यकरूप से नियुक्त हूं. (दो) तारीख .... को.......... (तीन) ....से ....का नमूना विश्लेपण के लिए प्राप्त किया. नमूना विश्लेपण के योग्य दशा में था, जिसकी रिपोर्ट नीचे दी गई है :—

मैं आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मैंने तारीख (चार) को पूर्वोमित नमूने का विश्लेपण कर लिया है और घोषित करता हूं कि विश्लेपण का परिणाम निम्नानुसार है:—

(पांच) ....
....

प्राप्ति के समय सीलों, बंधन तथा धारक की दशा निम्नानुसार थी :—
....
....

आज तारीख ....19.. को हस्ताक्षरित.

....

राज्य मंडल विश्लेपक.'

पता ....
....

प्रति ....
....

(एक) यहां राज्य मण्डल के विश्लेपक का पूरा नाम लिखिए.

(दो) यहां नमूने की प्राप्ति की तारीख लिखिए.

(तीन) यहां उस मण्डल या व्यक्ति या व्यक्ति-निकाय या अधिकारी का नाम लिखिए, जिससे नमूना प्राप्त हुआ था.

(चार) यहां विश्लेपण की तारीख लिखिए.

(पांच) यहां विश्लेपण के ब्यौरे लिखिए तथा विश्लेपण की पद्धति का निर्देश कीजिए. यदि स्थान पर्याप्त न हो तो ब्यौरे पृथक् कागज पर दिये जा सकेंगे.

प्ररूप तीन

(नियम १७ देखिये)

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल

नमूने का विश्लेपण किये जाने के आशय की सूचना

प्रति,

यह सूचना दी जाती है कि आपके परिसर से वायु उत्सर्जन के नमूने का विश्लेपण किया जाना आशयित है जो कि आज तारीख................सन् १९ को (१)................ लिया जा रहा है.

उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जो नमूना लेता है................

(१) यहाँ चिमनी (स्टेक), चिमनी या किन्हीं अन्य उत्सर्जन निकासों को विनिर्दिष्ट करें.

प्रति,

....

....

....

प्ररूप चार

राज्य बोर्ड विश्लेपक द्वारा दी गई रिपोर्ट

(नियम १८ देखिये)

रिपोर्ट क्रमांक ....

तारीख................

मैं, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि मैं, (एक)................ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त राज्य बोर्ड विश्लेषक ने (दो) तारीख................१९................को (तीन)................ से................ का नमूना विश्लेपण के लिये प्राप्त किया. नमूना नीचे प्रतिवेदित विश्लेषण के लिये उपयुक्त दशा में था;

मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपरोक्त नमूने का तारीख (चार)................ को विश्लेषण किया और विश्लेपण के परिणाम घोषित करता हूं :—

(पांच)................

....

प्राप्त करते समय मुद्रायें, कसाव तथा पात्रों की दशा निम्नानुसार थी :—

....

....

आज तारीख................ मास................ वर्ष................को हस्ताक्षर किये.

....

(हस्ताक्षर)

राज्य बोर्ड विश्लेपक

पता................

....

....

... ...

... ...

(एक) यहां राज्य बोर्ड विश्लेपक का पूरा नाम लिखिये.
(दो) यहां नमूना प्राप्त होने की तारीख लिखिये.
(तीन) यहां बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या अधिकारी का नाम लिखिये जिससे नमूना प्राप्त हुआ था.
(चार) यहां विश्लेषण की तारीख लिखिये.
(पांच) यहां विश्लेषण के ब्यौरे लिखिये और विश्लेषण की पद्धति का निर्देश करिये. यदि लिखने के लिये स्थान पर्याप्त न हो तो ब्यौरे कागज के एक अलग पन्ने पर दिये जांय.

प्ररूप पांच

शासकीय विश्लेपक द्वारा दी गई रिपोर्ट

(नियम १६ देखिए)

क्रमांक... ... ...

... ...

मैं, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूं कि मैं, (एक) ... ... वायु (प्रदूषण निवारण नियन्त्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा २७ की उपधारा (१) के अधीन सम्यक रूप से नियुक्त शासकीय ...क ने (दो) तारीख ... ... १९... ... ...को (तीन) ... ... से ... ... मूना विश्लेपण के लिये प्राप्त किया नमूना नीचे प्रतिवेदिय विश्लेषण के लिए उपयुक्त दशा में था.

मैं, यह और प्रमाणित करता हूं कि मैंने उपरोक्त नमूने का (चार) तारीख ... ... को विश्लेषण और विश्लेपण का परिणाम निम्नानुसार घोषित करता हूं :—

(पांच) ... ...

... ...

तारीख... ... ...मास... ... ... वर्ष ... ...को हस्ताक्षर किये.

....

(हस्ताक्षर)
(शासकीय विश्लेपक)

(एक) यहां शासकीय विश्लेपक का पूरा नाम लिखिये.
(दो) यहां नमूना प्राप्त होने की तारीख लिखिये.
(तीन) यहां बोर्ड या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या अधिकारी का नाम लिखिये, जिससे नमूना प्राप्त हुआ था.
(चार) यहां विश्लेपण की तारीख लिखिये.
(पांच) यहां विश्लेपण के ब्यौरे लिखिये और विश्लेपण की पद्धति का निर्देश करिये. यदि लिखने के लिये स्थान पर्याप्त न हो तो ब्यौरे कागज के एक अलग पन्ने पर दिये जांय.

(2) For-sub-rule (5) of rule 5, the following sub- rule shall be substituted namely:—

"5" The applicant shall pay an annual licensing fees (except the fee for the first year) to the Board as per following schedule:—

A.—Industries having an investment of—

		Rs.
(1)	More than Rs. 5 Crores ..	5,000.00
(2)	More than Rs. 1 Crores but less than Rs. 5 Crores.	2,5000.00
(3)	More than Rs. 35 Lakhs but less than Rs. 1 Crores. ..	1,000.00
(4)	Less than Rs. 35 Lakhs —	250.00

B.— Annual licence fee and consent fee chargeable from local bodies extracting water per natural sources and discharging effluent into streams shall be as under:—

		Rs.
(a)	Municipal Corporations	3,000
(b)	Class AA Municipalities	2,000
(c)	Class A Municipalities	1,000
(d)	Class B Municipalities — —	500
(e)	Class C Municipalities	250
(f)	Minimum fee	250

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SURESH JAIN, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1987

क्र. 2485.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 20(1), 21 (1) तथा 23 (क,ख,ग) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 24(1), 25 तथा 26 (1,2,3) के अनुरूप में मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल नीचे दर्शित मंडल के अधिकारियों को उनके सम्मुख दर्शित क्षेत्र में (क) जानकारी प्राप्त करने, (ख) नमूने एकत्रित करने, तथा (ग) किसी स्थान में प्रवेश करने तथा निरीक्षण करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

	कार्य क्षेत्र
(1) अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव	संपूर्ण राज्य.
) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	संपूर्ण राज्य.
अधीक्षण यंत्री	उनका संबंधित परिक्षेत्र.
क्षेत्रीय अधिकारी सहायक यंत्री/वैज्ञानिक उपक्षेत्रीय अधिकारी कनिष्ठ यंत्री, कनिष्ठ वैज्ञानिक	संबंधित अधिकारी के कार्य क्षेत्र.

2487.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 20(1) तथा 21(1) तथा वायु (प्रदूषण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 25 तथा 26 के अनुसरण में मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल नीचे दर्शित मंडल के कर्मचारी को उनके सम्मुख दर्शित क्षेत्र में (क) जानकारी प्राप्त करने, तथा (ख) नमूने एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

(1) रसायनज्ञ (2) सेम्पलर	संबंधित कर्मचारी के कार्य क्षेत्र.

आर. के. खरे, सदस्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1987.